

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीधी (म0प्र0)

सूचना का अधिकार 2005 , क्रियान्वयन संबंधी जानकारी


म0प्र0 मे अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का ढांचा त्रिस्तरीय है। प्रदेश स्तर मे म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) है। जिला स्तर मे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यरत है। ग्राम स्तर मे प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ कार्यरत है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 सीधी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण सीधी जिला है। बैंक का मुख्य कार्य बैंक की शाखाओ के माध्यम से अमानते संकलित करना उन्हे वापिस करना है। इसके साथ ही बैंक अपनी शाखाओ के माध्यम से तथा उनसे सम्बद्ध प्राथमिक सेवा सहकारी साख समितियो के माध्यम से ऋण वितरण किया जाता है। इसके साथ ही साथ इन्ही समितियो के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओ की बिक्री का कार्य किया जा रहा है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 सीधी के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सहकारी अधिनियम के तहत प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी साख समितियो के सदस्यों में से बैंक के लिये प्रतिनिधि चुनकर आते है। इन्ही प्रतिनिधियों मे से निर्धारित संख्या मे बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव होता है। जिसमे से एक अध्यक्ष पद और दो उपाध्यक्ष पद तथा शेष संचालक पद के लिये चुने जाते है , इन्ही चुने हुए सदस्यों मे संचालक मण्डल का गठन किया जाता है। बैंक मे संचालक मण्डल के अतिरिक्त कुछ उप-समितियों जैसे स्टाफ उप समिति , ऋण उप समिति का भी गठन किया जाता है। संचालक मण्डल बैंक के नीतिगत विषयों पर समय-समय पर संचालक मण्डल की बैठक मे बैंक हित मे निर्णय लिये जाते है। इसी प्रकार स्टाफ उप समिति मे कर्मचारियों के विषय मे तथा ऋण उप समिति मे ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिये जाते है।

बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन हेतु बैंक प्रबन्धक एवं अन्य अधिकारी बैंक मे पदस्थ होते है।

बैंक का कार्य संचालन सहकारी अधिनियम एवं उप नियम तथा रिजर्व बैंक/नावार्ड सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थायेँ म0प्र0 के निर्देशानुसार किया जाता है।

बैंक की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है।



बैंक की शाखाएँ

- शाखा प्रबंधक
- पर्यवेक्षक
- सहायक लेखापाल या लिपिक/कैशियर
- भृत्य/चौकीदार

(2) **संचालक मण्डल :-**

सहकारी अधिनियम, उप नियम एवं रिजर्व बैंक/नावार्ड तथा सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म०प० के निर्देशानुसार बैंक हित में निर्णय लेना।

प्रबंधक :-

संचालक मण्डल की बैठकों का आयोजन तथा नियमानुसार बैंक हित में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन करना और बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन की बैंक हित में व्यवस्था करना।

विभिन्न कक्ष :-

बैंक के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन के लिये बैंक में विभिन्न कक्ष जैसे स्थापना कक्ष, लेखा कक्ष, फील्ड कक्ष एवं विपणन कक्ष कार्यरत हैं। इन कक्षों में पृथक पृथक संवर्ग अधिकारियों की अपेक्षा बैंक से पदस्थापना का प्रावधान है लेकिन पृथक पृथक संवर्ग अधिकारियों की अपेक्षा बैंक से पदस्थापना का प्रावधान है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण पदस्थापना नहीं की गई है। वर्तमान में एक ही संवर्ग अधिकारी नियुक्त है इनके द्वारा महाप्रबंधक पद का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

बैंक की शाखाएँ :-

जिले में बैंक की 13 शाखाएँ एवं एक अमानत शाखा कार्यरत है जिनमें शाखा प्रबंधक/प्रभारी शाखा प्रबंधक, पर्यवेक्षक, सहायक लेखापाल/लिपिक एवं भृत्य शाखाओं के कार्य संचालन हेतु पदस्थ है।

बैंक की 13 शाखाओं से सम्बद्ध जिले में 93 समितियाँ कार्यरत हैं। प्राथमिक सेवा सहकारी साख समिति एक स्वतंत्र इकाई है। इसका संचालन समिति के उप नियम एवं समिति की कार्यकारिणी के निर्णय जो संस्था हित में होते हैं। उनके अनुसार तथा सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म0प्र0 के निर्देशों के अनुरूप इनका संचालन होता है। समितियों के कार्य संचालन हेतु समिति में समिति प्रबंधक/सहायक समिति सेवक कार्यरत हैं। समितियाँ बैंक की संबंधित शाखाओं के नियंत्रण में कार्य करती हैं। समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य 635 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाता है उचित मूल्य के दुकानों में विक्रेता कार्य करते हैं। ये उचित मूल्य दुकानों से संबद्ध ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सामग्री का वितरण करते हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के मुख्यालय एवं बैंक की शाखाओं में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद नाम तथा परिलब्धियाँ संबंधी जानकारी इस प्रकार है :-

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी

प्रधान कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र0	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थगी स्थान	कुल वेतन
1	श्री एच0के0ढिमोले	महाप्रबंधक	प्र0कार्या0	24026.00
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाण्डेय	कार्या0अधीक्षक	स्थापना कक्ष	9325.00
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	आंतरिक अंकेक्षक	लेखा कक्ष	10660.00
4	श्री बाल्मीक प्रसाद सिंगरौल	उपयंत्री	प्रधान कार्या0	11922.00
5	श्री सूर्यधर द्विवेदी	प्र0शा0प्र0	फील्ड कक्ष	9802.00
6	श्री प्रेमधारी सिंह	प्र0शा0प्र0	फील्ड कक्ष	10109.00
7	श्रीमती संचिता श्रीवास्तव	उ0श्रे0लि0	लेखा कक्ष	9714.00
8	श्रीमती रमा तिवारी	लेखापाल ।।।	स्थापना कक्ष	9482.00
9	श्री रवि प्रकाश सिंह	लेखापाल ।।।	विपणन कक्ष	9250.00
10	श्री चन्द्र शेखर प्रसाद पाण्डेय	लेखापाल ।।।	लेखा कक्ष	9714.00
11	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय	लेखापाल ।।।	लेखा कक्ष	7796.00
12	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह परिहार	लिपिक	लेखा कक्ष	6184.00
13	श्रीमती सरोज पाण्डेय	निल0 लिपिक	प्र0कार्या0	4188.00
14	श्री वीर नारायण सिंह	गार्ड	प्रधान कार्या0	6037.00
15	श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव	चालक	प्रधान कार्या0	8197.00
16	श्री नन्दलाल सिंह	भृत्य	प्रधान कार्या0	5987.00
17	श्री महावीर केवट	भृत्य	प्रधान कार्या0	5827.00
18	श्री बाबूलाल नापित	भृत्य	प्रधान कार्या0	5781.00
19	श्री रामायण प्रसाद	भृत्य	प्रधान कार्या0	5046.00

20	श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा	भृत्य	प्रधान कार्या0	4713.00
21	श्री छोटेलाल केवट	भृत्य	प्रधान कार्या0	5642.00
22	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा	भृत्य	प्रधान कार्या0	4432.00
23	श्री अभिमान सिंह	निल0समित सेवक	प्रधान कार्या0	3279.00
24	श्री राजेश्वरी सिंह	निल0समित सेवक	प्रधान कार्या0	3076.00

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी (म0प्र0)

शाखाओं में पदस्थ कर्मचारियों की सूची

क्र0	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थगी स्थान	कुल वेतन
1	श्री तेज बहादुर सिंह	प्र0शा0प्र0	सीधी	9180.00
2	श्री मूल चन्द्र गुप्ता	प्र0शा0प्र0	सीधी	11637.00
3	श्री राम विशाल विश्वकर्मा	प्र0शा0प्र0	सीधी	9250.00
4	श्री धर्मपाल शर्मा	प्र0 पर्यवेक्षक	सीधी	8496.00
5	श्री सुरेश कुमार मिश्रा	प्र0लिपिक	सीधी	8036.00
6	श्री गोपाल शरण सिंह	लिपिक	सीधी	7299.00
7	श्री तीर्थराज सिंह	समिति प्रबंधक	सीधी	8545.00
8	श्री शिवलाल साहू	प्र0 लिपिक	सीधी	7374.00
9	श्री जीतेन्द्र कुमार तिवारी	प्र0 लिपिक	सीधी	4959.00
10	श्री महेश प्रसाद सांधिया	भृत्य	सीधी	5046.00
11	श्री सूर्यमणि सोनी	नि0समिति प्र0	सीधी	2876.00
12	श्री शेर बहादुर सिंह	पर्यवेक्षक	सीधी	7665.00
13	श्री लालमणि सिंह	प्र0शा0प्र0	चितरंगी	10718.00
14	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	लिपिक	चितरंगी	8460.00
15	श्री बृजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय	भृत्य	चितरंगी	4980.00
16	श्री प्रकाश सिंह	भृत्य	चितरंगी	4539.00
17	श्री राजीव लोचन सिंह	प्र0पर्य0	चितरंगी	1200.00
18	श्री राजमणि मिश्रा	शाखा प्रबंधक	मझौली	9482.00
19	श्री रामखेलावन जैयसवाल	पर्यवेक्षक	मझौली	7407.00
20	श्री अब्दुल सलाम	प्र0लिपिक	मझौली	4713.00
21	श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा	भृत्य	मझौली	4980.00
22	श्री राम कृपाल जैयसवाल	भृत्य	मझौली	5967.00
23	श्री उदय राज सिंह	शाखा प्रबंधक	बैढन	9092.00
24	श्री विष्णु बिहारी मिश्रा	लेखापाल III	बैढन	7159.00
25	श्री रामसजीवन गुप्ता	प्र0पर्य0	बैढन	8535.00
26	श्री राम प्रसाद कुशवाहा	प्र0लिपिक	बैढन	5200.00
27	श्री जगत पाल सिंह	भृत्य	बैढन	4779.00
28	श्री शिव बहोर वर्मा	प्र0शा0प्र0	निवास	10032.00
29	श्री सुजीत कुमार सिंह	प्र0लिपिक	निवास	4419.00
30	श्री आनन्द बहादुर सिंह	प्र0शा0प्र0	चुरहट	9877.00

31	श्री योगेन्द्र सिंह	प्र०पर्य०	चुरहट	10728.00
32	श्री भागीरथी चौधरी	पर्यवेक्षक	चुरहट	6641.00
33	श्री रामाधार शर्मा	प्र०स०ले०	चुरहट	9210.00
34	श्री मनोज कुमार मिश्रा	लिपिक	चुरहट	5487.00
35.	श्री लल्लू प्रसाद जैयसवाल	भृत्य	चुरहट	5688.00
36	श्रीमती सावत्री देवी	भृत्य	चुरहट	5456.00
37	श्री विष्णु बहादुर सिंह	शा० प्र०	अमिलिया	11038.00
38	श्री सुरेश कुमार द्विवेदी	प्र०स०लेखा	अमिलिया	6430.00
39	श्री शंकरदत्त द्विवेदी	लिपिक	अमिलिया	7145.00
40	श्री सूर्यपाल सिंह	भृत्य	अमिलिया	5967.00
41	श्री राहुल सिंह	भृत्य	अमिलिया	4379.00
42	श्री दिलराज सिंह	पर्यवेक्षक	अमिलिया	7250.00
43	श्री मोतीलाल कुशवाहा	प्र०शा०प्र०	देवसर	9017.00
44.	श्री बैजनाथ विश्वकर्मा	प्र०सहा०लेखा	देवसर	9107.00
45	श्री पुष्पराज सिंह	प्र०लिपिक	देवसर	6372.00
46	श्री श्याम बहादुर सिंह	प्र०शा०प्र०	बहरी	9645.00
47	श्री राम लखन शर्मा	प्र०लिपिक	बहरी	10718.00
48	श्री इन्द्रमणि प्रसाद पाण्डेय	भृत्य	बहरी	5959.00
49	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	प्र०शा०प्र०	रामपुर नै०	8367.00
50	श्री कपूर सिंह	लिपिक	रामपुर नै०	8500.00
51	श्री मानेन्द्र सिंह	पर्यवेक्षक	रामपुर नै०	9789.00
52	श्री अतर लाल सिंह	पर्यवेक्षक	रामपुर नै०	7143.00
53	श्रीमती दुर्गा सिंह	भृत्य	रामपुर नै०	4219.00
54	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	शा०प्र०	सरई	11055.00
55	श्री कालीचरण द्विवेदी	प्र०पर्य०	सरई	7856.00
56	श्री बंशराज वर्मा	प्र०लिपिक	सरई	5200.00
57	श्री रामलाल बारी	भृत्य	सरई	4912.00
58	श्री भैयालाल सिंह	प्र०शा०प्र०	रजमिलान	10109.00
59	श्री पारस नाथ सेन	प्र०लिपिक	रजमिलान	8575.00
60	श्री किशोर सिंह	पर्यवेक्षक	रजमिलान	7002.00
61	श्री काशी विषेशर जैयसवाल	प्र०शा०प्र०	कुशमी	7941.00
62	श्री लाल जी शर्मा	लेखापाल ।।।	कुशमी	9522.00
63	श्री कमलाकर सिंह	पर्यवेक्षक	कुशमी	7004.00
64	श्री सूर्यभान सिंह	भृत्य	कुशमी	4713.00
65	श्री उपेन्द्र सिंह	प्र०शा०प्र०	बरिगवाँ	7518.00
66	श्री छोटेलाल शर्मा	प्र०लिपिक	बरिगवाँ	4999.00

(3) **कार्यसंचालन की प्रक्रिया :-**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित है। जो प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार संगठित है -

ग्रामीण स्तर पर बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी साख समितियों कार्यरत है , एक समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 5 से 25 ग्राम तक इसकी परिधि मे आते है। ग्रामीण स्तर पर कृषकों के लिये नगद ऋण एवं वस्तु ऋण के अन्तर्गत बीज एवं रासायनिक खाद तथा कल्चर की उपलब्धता मौसम के अनुसार सुनिश्चित की जाती है। समिति के सदस्यों की अनुमोदन शाखास्तर पर गठित कमेटी के द्वारा किया जाता है। समिति मे किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्या उत्पन्न होने पर इसका निराकरण शाखा स्तर/प्रधान कार्यालय स्तर से किया जाता है।

(4) ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन साख उपलब्ध कराने मे प्राथमिक सेवा सहकारी साख समितियों का बहुत बडा योगदान है। ये ग्रामीण स्तर पर लघु/सीमान्त एवं सामान्य वर्ग के कृषको को उपलब्ध कराई जाने वाली साख का यह एक सशक्त माध्यम है , इसके अतिरिक्त समिति एवं शाखा के माध्यम से ट्रैक्टर ऋण , प्रधान कार्यालय की स्वीकृति पर उपलब्ध कराये जाते है।

(5) बैंक तथा इसकी शाखाओ एवं समितियों का कार्य संचालन सहकारी अधिनियम 1960 के अनुसार तथा कर्मचारियों पर लागू बैंक सेवा नियम , रिजर्व बैंक तथा नावार्ड द्वारा लागू नियम एवं निर्देश तथा सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म0प्र0 के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है।

(6) **दस्तावेजो का संधारण :-**

बैंक एवं बैंक की शाखाओं तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा अमानत दारो के अमानत खाता एवं सदस्यों के ऋण लेन-देन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समिति स्तर पर समिति प्रबंधक शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक एवं मुख्यालय स्तर पर बैंक प्रबंधक एवं कक्ष प्रभारी की होती है। जो रिकार्ड सुरक्षित रखे जाते हैं वह इस प्रकार है-

1. अमानत के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज।
2. ऋण लेन-देन संबंधित दस्तावेज।
3. कर्मचारियों से संबंधित सभी दस्तावेज।

(7) बैंक में परामर्श दात्री समिति गठित नही है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत संचालक मण्डल रहने की स्थिति मे (बोर्ड) इसकी उप समितियों गठित होती है। बैंक एवं समितियों को शासन से ऋण अथवा अनुदान प्राप्त होने पर संबंधितो के खातो पर निर्देशानुसार समायोजन किया जाता है।

(8) बैंक/शाखा/समितियों के माध्यम से आवश्यक जानकारी नियमानुसार आम नागरिको को उपलब्ध कराई जाती है।

(9) **बाचनालय की व्यवस्था :-**

बैंक की बाचनालय की व्यवस्था नही है । आवश्यक अधिनियम एवं सेवा नियम खुले बाजार मे बुक डिपो मे क्रय करने हेतु उपलब्ध हैं।

(10) **लोक सूचना अधिकारी की जानकारी :-**

1. **बैंक स्तर पर** :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (एच) के तहत यह बैंक न आने से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सामिल नहीं है।
2. **समिति स्तर पर** :- प्राथमिक सहकारी साख समिति के स्तर पर समिति प्रबंधक / लीड प्रबंधक संबंधित समिति के लिये लोक सूचना अधिकारी होंगे एवं सहायक समिति प्रबंधक / विक्रेता सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे

- (11) बैंक के लिय शासन द्वारा स्थापना व्यय हेतु कोई बजट स्वीकृत नहीं है।
- (12) प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा समिति के सदस्यों को उनकी स्वीकृत साख सीमा के आधार पर उन्हे बस्तु ऋण (खाद-बीज) तथा नगद ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- (13) प्राथमिक सहकारी साख समितियों अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है , जिनके हितग्राहियों की सूची संस्था मे रहती है।
- (14) बैंक एवं बैंक की शाखाओं तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों के स्तर पर अमानत दारों के अमानत खाता तथा ऋण खाता सुरक्षित रखे जाते है।
- (15) बैंक में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आम नागरिकों के मागे जाने पर नियमानुसार सूचना बैंक / समिति से उपलब्ध कराई जाती है।
- (16) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (एच) के तहत यह बैंक न आने से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सामिल नहीं है।

प्राथमिक सहकारी साख समिति एक स्वतंत्र इकाई है। इनमे निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है। इसमे अलग से समिति प्रबंधक / सहायक समिति सेवक पदस्थ है। अतः समिति स्तर पर समिति प्रबंधक लोक सूचना अधिकारी रहेगे।

- (17) निरंक।

महाप्रबंधक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या
सीधी (म0प्र0)